







फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

बिरबलराम बनाम सुनीता देवी आदि

किसम मुकदमा : 53, 188 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 163 / 2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ |
|-------------|--|--|
| 14.03.2023 | यह वाद पत्र वादी संख्या 02 ने स्वयं उपस्थित होकर पेश किया । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वादी स्वयं रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक : 14/04/2023 को पेश हो  | |
| 17.4.23 | <p><i>अपिल की रूपरेखा।</i> <i>वकील श्री कुलादीप सिंह खुडिया व गोपनीय नं. 910 की ओर से कलानसतारक पेश किया जो शारिकी फावली है। उतिगडी 101 की ओर से श्री रविन्द्र गोपनीय नं. ने कलानसतारक संप्र कोर्ट उति power of अध्यापक पेश किया जो शारिकी फावली है। उतिगडीगण की तलबी हेतु स्वीड जेवर की को सुनी है। गोपनीय उतिगडीगण को आवेदन लखनऊ जहाँ। गोपनीय उतिगडीगण म उती ओर के को लीटर उपस्थित नहीं। फावली वास्ते उतिगडी कार्यावली दिनांक 115/23 को पेश हो। </i></p> | |
| 19/4/23 | <p>वादी के शर्चना. पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी ने शर्चना. पत्र में निवेदन किया की हम पत्रकार का आवसी राजीनामा से उता है। इसलिए दावा नही चलाना चाहते है। वादी कि पहचान राष्ट्रक पुत्रा निरुक्त द्वारा कि गई। वादी स्वयं के द्वारा अपना दावा नही चलाने के कारण खारिज किया जात है। पत्रावली वास्ते  उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)</p> | <p>  </p> |